बिहार सरकार

अनुमण्डल कार्यालय, गोपालगंज

आम सूचना

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला महादलित मिशन समिति, गोपालगंज के पत्रांक 137/कल्याण दिनांक 26.05.2026 के द्वारा विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु दिनांक 29.05.2026 से 10.07.2026 तक तिथि निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार संबंधित प्रखंड बरौली में रिक्त पद पर विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाना है। जो निम्नवत है:–

रिक्ति से संबंधित सूचना

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	आरक्षण
गोपालगंज	बरौली	बेलसंड	चमार (सामान्य)

चयन प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित तिथि

क्रम सं०	गतिविधि	अवधि
01	आवेदन प्राप्त करने की तिथि।	13.06.2026 से 22.06.2026 तक
02	मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना।	27.06.2026
03	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण करना।	30.06.2026 से 01.07.2026
04	चयन सूची का प्रकाशन।	07.07.2026
05	नियोजन पत्र वितरण/शपथ पत्र उन्मुखीकरण।	10.07.2026

चयन हेतु योग्यता एवं शर्तें:–

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
2. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी।
3. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
5. जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहां के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
6. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।
7. अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
8. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
9. समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता /योगदान नहीं देने पर / दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के कम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेंगे।
11. निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता हैरू–

(I) नॉन–मैट्रिक (II) नौवीं पास (III) आठवीं पास (IV) सातवीं पास (V) छठा पास (VI) पांचवी पास

- ➢ सर्वप्रथम नान मैट्रिक, उसके पश्चात नवगी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में नीचे के शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।
- ➢ नन–मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्तांक आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।
- ➢ आठवीं से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों से विद्यालय परित्याग पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।
- ➢ वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।
- ➢ अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे।
- ➢ महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जा सकता है। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुडी हों तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों।
- ➢ इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन से स्वविवेक निर्णय लिया जायेगा।
- ➢ किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोपालगंज सदर

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR. No. 005420 (District) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।